न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 92/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/353)

1. राजकुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री जयनारायण सिंह जाति राजपूत आयु 72 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
2. कृष्ण सिंह पुत्र स्व0 श्री जयनारायण सिंह जाति राजपूत आयु 69 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
3. भरत सिंह पुत्र स्व0 श्री जयनारायण सिंह जाति राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
4. अजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जयनारायण सिंह जाति राजपूत आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
5. मनोहर सिंह पुत्र श्री बने सिंह जाति राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
6. प्रदीप सिंह पुत्र श्री विजय सिंह जाति राजपूत आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
7. नत्थू सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति राजपूत आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
8. रोशन सिंह पुत्र श्री हरदान सिंह जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
9. कान सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह जाति राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।
10. नत्थू सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत आयु 44 वर्ष निवासी ग्राम चेनपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर निर्णय दिनांक 16.11.2021 जिसके द्वारा न्यायालय ने तथाकथित प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये।

उपस्थित :—

1. श्री सुनील शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—20.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 16.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.12.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर द्वारा दिनांक 11.01.2021 को प्रस्ताव बाबत चालू स्थाई रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम चैनपुरा, तहसील नारायणपुर के आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 569, 570, 573, 574, 575 में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर ने तहसीलदार नारायणपुर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.01.2021 के उपरोक्त वर्णित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खसरा नम्बरों में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 16.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट राजकुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री जयनारायण सिंह वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 16.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नारायणपुर के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का प्रश्नगत आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता कायम करने बाबत अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना उक्त भूमि खसरा नम्बर 571, 572, 569, 570, 573, 574, 575 स्थित ग्राम चैनपुरा, तहसील नारायणपुर में कभी कोई पूर्व में प्रचलित रास्ता नहीं होने और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता होने के बावजूद दिनाक 16.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया। विवादित भूमि का उपयोग–उपभोग किसी भी खातेदार या अन्य व्यक्ति के द्वारा रास्ते के रूप में नहीं किया गया। उक्त भूमि के पड़ौस में कुछ राजनैतिक रूप से प्रभावी व्यक्तियों की भूमि होने के कारण उन्हे रास्ता प्रदान किये जाने बाबत् प्रशासन गांवों के संग अभियान में किसी प्रकार की कोई वास्तविक जांच किये बिना तथा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारों को कोई सूचना दिये बिना ही तहसीलदार महोदय के द्वारा एक ही दिन में मौका देख कर उक्त रिपोर्ट किये जाने तथा उसी दिन न्यायालय के द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर खातेदारों से किसी प्रकार की कोई आपत्ति लिए बिना आदेश पारित किया गया जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उक्त भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कुछ व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अत्यंत जल्दबाजी में यह विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। उक्त रास्ते में तहसीलदार के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 571, 572, 569, 570, 573, 574, 575 स्थित ग्राम चैनपुरा तहसील नारायणपुर में रास्ता होने का कथन किया है जबकि ऐसा कोई रास्ता स्थित नहीं है, ना ही किसी राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पर रास्ते का अंकन है। जबकि वास्तविकता में कुछ राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर इन व्यक्तियों को नाजायज रूप से फायदा पहुंचाने के आशय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उक्त कार्यवाही निष्पादित की हैं। उक्त प्रकरण में दिनांक 11.01.2021 को तहसीलदार नारायणपुर के द्वारा मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि की स्थिति को पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाए जाने का कथन किया है जिस पर उसके द्वारा तथाकथित रूप से कुछ खातेदारों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी भी होना अंकित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि ना तो उक्त दिवस को तहसीलदार पटवारी हल्का या भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौके पर गए और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई रास्ता होने की ताईद की। इतना ही नहीं उनके द्वारा तथाकथित रूप से तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना बताया है वह सभी गलत रूप से फर्जकारी कर किये गये है। इनमें से एक भी व्यक्ति के द्वारा अपने हस्ताक्षर नहीं किये गये है। इतना ही नहीं उक्त रिपोर्ट में तथाकथित रूप से ऐसे व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी होना बताया है जिनकी मृत्यु हुए ही काफी वर्ष हो चुके। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट एवं प्रमाणित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

करता है तहसीलदार महोदय के द्वारा ना तो मौके को देखा गया और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई मौके अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई वास्तविकता में मौके पर आज भी किसी प्रकार का कोई रास्ता विद्यमान नहीं है, केवल कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इस प्रकार फर्जी रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

विधि का स्थापित आज्ञापक प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के किसी संपत्ति में अधिकारों को समाप्त किए जाने से पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना न्यायानुकूल होगा लेकिन उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार अपीलार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना दिए बिना तथा उससे किसी प्रकार की कोई आपत्ती मांगे बिना और उसे अपना पक्ष प्रदर्शित किए जाने हेतु किसी प्रकार का कोई अवसर दिए बिना उक्त भूमि को रास्ते के रूप में दर्शा कर वादग्रस्त संपत्ति में उसके महत्वपूर्ण अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि की सामान्य वांछनियताओं को भी पूर्ण करने वाला नहीं होने पर निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं भिजवाये जाने के कारण उसे उक्त प्रकरण तथा प्रश्नगत निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है। बल्कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा वादग्रस्त भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से रास्ते का अंकन बाबत निर्णय करवा लिये जाने के बाद अब उक्त भूमि पर रोड़ बिछवाये जाने की धमकी दिये जाने पर अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने पर उसे दिनांक 11.11.2022 को नकल प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2021 से प्रभावित पक्षकार को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 16.11.2021 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.11.2022 से होना अंकित किया गया है, किन्तु पटवारी हल्का कराणा, तहसील बानसूर की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.01.2021 में अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलान्ट द्वारा अपील में हस्ताक्षर को फर्जी होना अंकित किया गया है। उक्त तथ्य पुलिस अनुसंधान का विषय है जो पुलिस अनुसंधान के पश्चात ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ अपीलान्ट को दिया जाना उचित मानते हुये अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते

अतिरिक्त सभापति [illegible]

हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि फर्जी हस्ताक्षर के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात, साक्ष्य यथा एफआईआर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये है। हस्ताक्षर फर्जी है अथवा नहीं पुलिस जॉच का प्रश्न है जो न्यायालय हाजा द्वारा तय नही किया जा सकता है। जब तक पुलिस अनुसंधान में यह साबित नहीं हो जाता कि हस्ताक्षर फर्जकारी कर किये गये है, इस न्यायालय द्वारा हस्ताक्षर को अवैध माने जाने/नहीं माने जाने का प्रश्न तय नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वर्तमान परिस्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। पुलिस अनुसंधान के निष्कर्षो के आधार पर अपीलार्थीगण यथोचित न्यायिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर